न्यायालयः— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या—256 / 2026
रानीगंज थाना कांड संख्या—436 / 25

सोनु कुमर ——————————आवेदक।
बनाम
बिहार राज्य

वास्ते आवेदक :— श्री देव नारायण सेन, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :— मो0 अब्दुल मन्नान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

आदेश

10.06.2026 दिनांक—23.11.2025 से काराधीन आवेदक सोनु कुमार पिता—सदानंद सिंह साकिन—बगुलाहा वार्ड नं0 03, थाना—रानीगंज जिला—अररिया की ओर से रानीगंज थानाकांड संख्या—436 / 2025 अन्तर्गत धारा—25(1—बी)ए / 26 / 35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया, जिसकी एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी जा चुकी है। जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि, सूचक राजू कुमार के अनुसार दिनांक—23.11.2025 को गुप्त सूचना के सत्यापन हेतु सूचक पुलिस बल के साथ राजेश यादव के घर पहुँचा तो पुलिस बल को देखकर भागने लगा जिसमें दो व्यक्ति को पकड़ लिया गया और एक अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गया। पकड़ाया दोनों व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम 1—रंजीत कुमार उर्फ रंजीत यादव एवं 2—सोनु कुमार बताया तथा भागने वाले का नाम 3—मनोहर यादव उर्फ मनीष यादव बताया तथा पूछताछ के क्रम में यह बताया कि खिड़की के नीचे बरामद गोली मनोहर यादव उर्फ मनीष यादव का था। पकड़ाये व्यक्ति कि तलाशी लेने पर रंजीत कुमार उर्फ रंजीत यादव के कमर से देशी कट्टा एवं दाहिने पॉकेट से दो जिन्दा कारतूस एवं एक रियलमी कंपनी का मोबाईल एवं 2—सोनु कुमार के पैंट के बाये पॉकेट से दो जिन्दा कारतूस एवं तीन खोखा एवं दाये पॉकेट से ओपो कंपनी का मोबाईल बरामद हुआ।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक द्वारा कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र श्रीमान् के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और वह कोई आपराध कारित नहीं किया है। आवेदक को अनुमान के आधार पर इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के पास से कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, आवेदक के विरूद्ध धारा—25(1—बी)ए / 26 / 35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

लगातार

लगातार **जमानत आवेदन पत्र संख्या–256 / 2026**

10.06.2026 आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा उसे घटना स्थल से पकड़ा गया। जप्ती सूची के अनुसार उसके पास से दो जिन्दा कारतूस एवं तीन खोखा बरामद हुआ। कांड दैनिकी के पारा–4 में वादी का बयान, पैरा–5 एवं 6 में साक्षी का बयान, पैरा–8 में स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें अपने अपराध को स्वीकार किया है। पैरा–26 में पर्यवेक्षण टिप्पणी दर्ज है। पैरा–33 में शस्त्र कारगर प्रतिवेदन वर्णित है जिसमें जप्त प्रदर्श कारगर पाया गया है। पैरा–34 में सेंक्शन प्रतिवेदन अभियुक्त के विरूद्ध वर्णित है। आवेदक के विरूद्ध मामले को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

अतः मामले की गंभीरता एवं आवेदक को आपराधिक प्रवृति को देखते हुए न्यायालय आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करना विधिसंगत नहीं समझता है, तद्नुसार आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
अररिया।